


104

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व निगरानी क्रमांक-...../2017



01. फूलमती पत्नी रामबिहारी

आई-एच. 4011
26-12-17

02. शिया दुलारी पत्नी रामखेलावन

08-01-18

दोनो निवासी धवारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...निगराकारगण

26-12-17 निगरानी/सतना/शुल्क/2017/6317

बनाम

01. नत्थू प्रजापति तनय भूरा प्रजापति

02. कौशिल्या पत्नी नत्थू प्रजापति, दोनो निवासी धवारी गली नं.-1 सतना

तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भूरा.सं.1959

बिरुद्ध आदेश कलेक्टर सतना के प्र.क.

60अ74/16-17 मे पारित आदेश दिनांक

25.09.2017

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकारगण निम्न लिखित आधार पर निगरानी

प्रस्तुत कर बिनयी है:-

संक्षिप्त तथ्य


निगराकारगणो द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की आराजी का विधिवत सीमांकन रा.प्र.क.-26अ12/05-06 के माध्यम से कराया जाकर सीमांकन में किसी प्रकार से आपत्ति न होने पर सीमांकन की पुष्टि दिनांक 21.12.05 को हो जाने और सीमांकन पूर्णतः अंतिमतः हो जाने के आधार पर सीमांकन प्रतिवेदन तथा पंचनामें मे प्रमाणित दबते रकवे के संबंध में धारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/6317

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 60/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	

34